

महिला सशक्तिकरण में सरकारी योजनाओं की भूमिका : जिला बागपत के विशेष संदर्भ में

एक अध्ययन

अनिल कुमार (शोध छात्र, इतिहास) केएमजीजी (पीजी) कॉलेज, बादलपुर, गौतमबुद्ध नगर

किसी भी देश के विकास का आंकलन उसके समाज, उसकी जनता के जीवन स्तर से किया जाता है। सामान्यतः जनता के जीवन स्तर में समाज के कमजोर वर्ग और महिलाओं के जीवन स्तर के मानक विशेष रूप से उल्लेखनीय है। लगभग सभी विकासशील देशों में महिलाएँ समाज का कमजोर हिस्सा है और प्रयासों के बावजूद उनकी स्थिति बंद से बंदतर होती जा रही है। हमारे अपने भारतीय प्रसंग में जवाहरलाल नेहरू की मान्यता थी कि महिलाओं की स्थिति ही देश के वास्तविक स्वरूप का परिचायक है। मानव सभ्यता के ऊषाकाल से ही मानव समाज के निर्माण एवं विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, अथवा यूँ कहे कि समाज के निर्माण एवं विकास को सजाने एवं संवारने में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की भूमिका अधिक रही है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वास्तविकता यह है कि कोई भी समाज महिला वर्ग की भूमिका एवं महत्ता को नजरअंदाज कर विकास की दौड़ में आगे नहीं आ सकता। ऋऋमहिला विकास स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही हमारी योजनाओं का मुख्य लक्ष्य रहा है। 1980 की पंचवर्षीय योजना में महिलाओं के विकास को अलग-अलग समूह के रूप में मान्यता देकर उन्हें विकास योजना में समुचित स्थान दिया गया है। इसके साथ ही महिलाओं की समस्या के प्रति जो कल्याणकारी दृष्टिकोण रखा जाता था उसके स्थान पर अब उनके विकास तथा उन्हें अधिक अधिकार देने पर बल दिया गया। महिलाओं को

अधिकार देने के सरकार के सभी प्रयासों का उद्देश्य उसका सामाजिक, आर्थिक, कानूनी और राजनैतिक स्तर की दृष्टि से पुरुषों के समान ऊपर उठाकर उन्हें राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा में शामिल करना है।

महिलाओं के कल्याण हेतु सरकार के द्वारा अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। जिनमें मुख्य रूप से बालिका समृद्धि योजना, महिलाओं और बच्चों के यौन उत्पीड़न के विरुद्ध कार्यवाही की योजना, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला कोष स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वयं सहायता समूह, महिला विकास कार्यक्रम, सामूहिक विकास प्रोत्साहन कार्यक्रम, विधवा स्त्री की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान, विकलांग विवाह अनुदान, जिला महिला सहायता समिति, किशोर बालिका योजना, लाडली किशोरी शक्ति योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, एकीकृत महिला सशक्तिकरण योजना (स्वयंसिद्ध) अल्पवास गृह योजना, कामकाजी महिला हॉस्टल निर्माण, महिलाओं में प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता (स्टेप) महिला नीति, महिला शक्ति अवार्ड, महिला आयोग, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, समेकित बाल विकास कार्यक्रम, यूनिसेफ कार्यक्रम, नरेगा, एकीकृत ग्राम विकास योजना (आई.आर.डी.पी.), जवाहर रोजगार योजना, मांडा योजना, बिखरी जनजाति योजना, भाग्यश्री बाल कल्याण योजना, इन्दिरा महिला योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, पालनहार योजना, पन्नाधाय योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, अटल पेंशन योजना आदि योजनाएं संचालित की जा रही है।

ग्रामीण विकास की योजनाएं का महिलाओं पर प्रभाव से संबंधित कुछ शोधकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश से सम्बद्ध अपने अध्ययनों में बताया है कि महिला विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार द्वारा

ऐसी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है जिससे महिलाओं का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा सके। **रवीन्द्र विक्रम सिंह (2016)** ने उत्तर प्रदेश के फैजाबाद मंडल में ग्रामीण विकास तथा पर्यावरण, महिला, बच्चे, बालिकाओं के अधिकार, शिक्षा, चेतना, जागृति आदि क्षेत्रों में स्वयंसेवी संस्थाओं के योगदान का भी अन्वेषकों ने अध्ययन किया है। **स्नेहा भटनागर अरोड़ा (2016)** ने कानपुर देहात (घाटमपुर) के अपने अध्ययन के आधार पर बताया कि व्यक्तियों के स्थान पर समूहों को सहायता प्रदान की जाए और कार्यक्रमों को प्रभावी व उपयुक्त बनाने के लिए महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारा जाये। **गीता मनोहर शर्मा (2015)** ने अपने अध्ययन में पाया कि केन्द्र व राज्यों की सरकारों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से महिलाओं की आर्थिक स्थिति में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए है। **कर्णदेव मेहरोत्रा और शिवदान सिंह (2014)** ने बांदा, हमीरपुर और उरई के बुन्देलखंडी क्षेत्रों में कार्यशील महिलाओं के अपने अध्ययन में पाया कि कार्यशील महिला पारिवारिक तथा कार्यस्थल के दायित्वों के समन्वय हेतु सक्षम है। **तहसीन खान और सुमैरा अहमद (2012)** ने गाजीपुर और बलिया की महिलाओं को स्थानीय स्तर पर राजनीतिक शक्ति प्रदान करने के संदर्भ में आनुभाषिक अध्ययन किया।

अध्ययन के उद्देश्य

1. महिलाओं की सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी का पता करना।
2. विकास योजना द्वारा महिलाओं को मिले लाभ व योजनाओं के मार्ग में आने वाली बाधाओं से अवगत होना।
3. सरकारी योजनाओं का महिलाओं के जीवन में पड़ने वाले प्रभाव।

प्रस्तुत अध्ययन के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के बागपत जिले की तहसील बागपत की अग्रवाल मंडी टटीरी नगर पंचायत का अध्ययन क्षेत्र के रूप में चयन किया गया। इस नगर पंचायत के क्षेत्र में 100 महिलाओं का चयन सरल दैव निदर्शन विधि द्वारा किया गया। प्राथमिक तथ्यों के संकलन के लिए अनुसूची आधारित साक्षात्कार तथा प्रत्यक्ष अवलोकन का प्रयोग किया गया है एवं द्वितीयक स्रोतों से संबंधित सन्दर्भ पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं आदि का प्रयोग किया गया है।

सर्वेक्षण से प्राप्त आँकड़े

तालिका संख्या-1

महिला विकास हेतु सरकारी योजनाओं की जानकारी

क्रम	संचेतना का स्तर	उत्तरदत्ताओं की संख्या	प्रतिशत
1	जानकारी है	68	68
2	जानकारी नहीं है	32	32
3	योग	100	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 68 प्रतिशत सूचनादात्रियों को महिलाओं के विकास के लिए सरकार द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं की जानकारी है, जबकि 32 प्रतिशत ने इस प्रकार की जानकारी से अनभिज्ञता प्रकट की।

तालिका संख्या – 2

सरकार द्वारा चलाई जा रही लक्षित योजनाओं की जानकारी

क्रम	योजना का नाम	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	सबला योजना	02	02
2	स्टेप योजना	02	02
3	इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना	04	04
4	महात्मा गाँधी नरेगा योजना	28	28
5	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	22	22
6	स्वाधार योजना	02	02
7	कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल योजना	03	03
8	उज्ज्वला योजना	12	12
9	स्वावलंबन योजना	03	03
10	वृद्धावस्था पेंशन योजना	13	13
11	कन्या सुमंगला योजना	02	02
12	निराश्रित महिला पेंशन योजना	03	03
13	आपकी सखी योजना	02	02
14	भाग्य लक्ष्मी योजना	02	02
15	योग	100	100

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 28 प्रतिशत सूचनादात्रियाँ मनरेगा, 22 प्रतिशत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना तथा 13 प्रतिशत सूचनादात्रियाँ वृद्धावस्था पेंशन योजना से परिचित है। इस प्रकार ज्यादातर सूचनादात्रियों को महिलाओं के विकास हेतु सरकार द्वारा संचालित

अपेक्षाकृत नई योजनाओं की जानकारी है।

तालिका संख्या – 3
सरकारी योजनाओं से जुड़ने के कारण

क्रम	कारण	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	आर्थिक	38	38
2	योजना के सदुपयोग का भाव	17	17
3	आत्मनिर्भरता	42	42
4	अन्य कारण	03	03
5	योग	100	100

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि 38 प्रतिशत सूचनादात्री आर्थिक कारणों से सरकारी योजनाओं से जुड़ी 17 प्रतिशत महिलाएँ योजना का सदुपयोग करने, 42 प्रतिशत महिलाएँ आत्म निर्भर होने हेतु तथा 03 प्रतिशत महिलाएँ समाज सेवा व अन्य कार्यों से प्रेरित होकर सरकारी योजनाओं से जुड़ी। इस प्रकार आर्थिक कारण व आत्म निर्भरता ही सरकारी योजनाओं से जुड़ने का मुख्य प्रेरणास्रोत रहा है। इन तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि ग्रामीण महिलाएँ किसी न किसी कारण से नियोजनाओं से जुड़ रही है और इनका लाभ भी उठा रही है।

तालिका संख्या – 4
लाभान्वित महिलाओं में आई अधिकारों की प्रति जागरूकता

क्रम	जागरूकता	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	आयी है	89	89
2	नहीं आयी है	11	11
3	योग	100	100

इस तालिका से स्पष्ट होता है कि 89 प्रतिशत सूचनादात्रियों ने बताया कि सरकारी योजनाओं में लाभान्वित होने के बाद उनमें महिला अधिकारों के प्रति जागरुकता आई है तथा अब वह अपने अधिकारों को समझने लगी है। 11 प्रतिशत सूचनादात्रियों ने बताया कि उनमें महिला अधिकारों के प्रति जागरुकता नहीं आई क्योंकि वह इन योजनाओं के साथ अभी तक जुड़ नहीं पाई है। इस प्रकार कार्य के दौरान व सरकारी विभागों में विभिन्न लोगो से सम्पर्क के दौरान महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति जानकारी, चेतना व जागरुकता पैदा हुई है। अब वह इनके प्रति सतर्क और जागरुक है।

तालिका संख्या-5
सरकारी योजनाओं से उठाया गया लाभ

क्रम	योजनाएँ	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	वृद्धावस्था पेंशन	29	29
2	नरेगा	22	22
3	शौचालय	11	11
4	इंदिरा आवास योजना	09	09
5	उज्ज्वला गैस	14	14
6	कन्या सुमंगला	09	09
7	अन्य योजनाएँ	06	06
8	योग	100	100

उपरोक्त तालिका के आँकड़े दर्शाते हैं कि 29 प्रतिशत सूचनादात्रियाँ वृद्धावस्था पेंशन योजना, 22 प्रतिशत महिलाएँ नरेगा योजना, 11 प्रतिशत सूचनादात्रियाँ स्वच्छ शौचालय, 09 प्रतिशत महिलाएँ इंदिरा आवास, 14 प्रतिशत महिलाएँ उज्ज्वला गैस, 09 प्रतिशत महिलाएँ कन्या सुमंगला योजना तथा 06 प्रतिशत महिलाएँ अन्य विभागों की योजनाओं में लाभान्वित हुईं। इस प्रकार अधिकतर

सूचनादात्रियों ने वृद्धावस्था पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं का लाभ उठाया है जिससे उनको प्रतिमाह एक मुश्त राशि प्राप्त होती रहती है। बाकी योजनाओं के प्रति भी उनका रुझान धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है।

तालिका संख्या –6
लाभान्वितों के मार्ग में आने वाली कठिनाइयाँ

क्रम	कठिनाइयाँ	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	पूर्ण राशि का भुगतान नहीं	15	15
2	बार बार कार्यालयों में जाना	53	53
3	कर्मचारियों का बुरा व्यवहार	27	27
4	अन्य समस्याएँ	05	05
5	योग	100	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 15 प्रतिशत सूचनादात्रियों को सरकारी विभागों द्वारा पूरी राशि का भुगतान नहीं किया गया। 53 प्रतिशत महिलाओं को सरकारी विभागों के बार-बार चक्कर लगाने पड़े, 27 प्रतिशत सूचनादात्रियों के प्रति सरकारी विभागों के कर्मचारियों का असहयोगपूर्ण रवैया रह्य था। 05 प्रतिशत महिलाओं में रिश्वत, भ्रष्टाचार व अन्य कारणों को उत्तरदायी बताया है। इस प्रकार सूचनादात्रियों को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित होने हेतु अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।

तालिका संख्या –7

विकास योजनाओं के मार्ग में आने वाली बाधाएँ

क्रम	बाधाएँ	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	पर्याप्त राशि न मिलना	48	48
2	उच्च ब्याज दर	02	02
3	सहायता में देरी	29	29
4	भ्रष्टाचार	14	14
5	माल विक्रय की व्यवस्था न होना	04	04
6	अन्य अथवा नहीं पता/अनुत्तरित	03	03
7	योग	100	100

उपरोक्त तालिका से विदित होता है कि 48 प्रतिशत सूचनादात्रियों ने बताया कि विकास योजनाओं द्वारा पर्याप्त राशि नहीं मिलती, 02 प्रतिशत ने बताया कि सरकारी योजनाओं द्वारा उँची व्याज दर पर आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है। 29 प्रतिशत सूचनादात्रियों ने बताया कि सरकार द्वारा संचालित विकास योजनाओं में आर्थिक सहायता देरी से उपलब्ध होती है। 14 प्रतिशत सूचनादात्रियों का कहना है कि सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार व्याप्त होने के कारण आर्थिक ऋणसहायता प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। 04 प्रतिशत सूचनादात्रियों का कहना है कि गाँवों में कृषि उत्पादन के विक्रय की व्यवस्था नहीं होने के कारण उत्पादित माल का सही मूल्य प्राप्त नहीं होता है। 03 प्रतिशत ने या तो कोई उत्तर नहीं दिया है अथवा कुछ अन्य

कारणों का उल्लेख किया है। इन आंकड़ों के विश्लेषण से यह तथ्य उभर कर आया है कि योजनाओं के बेहतर एवं सफल क्रियान्वयन हेतु उनमें सुधार किये जाने की आवश्यकता है। साथ ही क्षेत्र में योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किये जाने की भी आवश्यकता है। यदि सरकारें इन कमियों की तरफ ध्यान दे तो यह योजनाएँ अधिक प्रभावी हो सकती है। अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सकता है।

तालिका संख्या – 8
योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु सुझाव

क्रम	सुझाव	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	प्रशासन की सोच में बदलाव	27	27
2	भ्रष्टाचार दूर करना	35	35
3	प्रभावी लोगों के हस्तक्षेप में कमी करना	04	04
4	जन भागीदारी बढ़ाने का प्रयास	23	23
5	क्षेत्रीय गुटबाजी में कमी लाना	04	04
6	उपयुक्त साधनों व सुविधाओं में विस्तार	07	07
7	योग	100	100

इस तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि 27 प्रतिशत सूचनादात्रियों महिलाओं की विकास योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु अधिकारियों व कर्मचारियों की सोच में बदलाव लाना जरूरी समझती है। 35 प्रतिशत सूचनादात्रियों ने बताया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार को दूर

किया जाना आवश्यक है। 04 प्रतिशत सूचनादात्रियों ने बताया कि राजनेताओं एवं प्रभावी लोगों के हस्तक्षेप व दबाव में कमी लाई जाए तभी यह योजनाएँ सफल होगी। 23 प्रतिशत सूचनादात्रियों ने बताया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में जन भागीदारी बढ़ाने के प्रयास किये जाए। 04 प्रतिशत सूचनादात्रियों ने कहा कि क्षेत्रीय गुटबाजी में कमी लाई जाये जबकि 07 प्रतिशत सूचनादात्रियों ने बताया कि योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु साधन एवं सुविधाएँ बढ़ाई जाए। अतः अधिकांश सूचनादात्रियों ने महिला विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सुधार की आवश्यकता बताई है।

प्रस्तुत अध्ययन में पाया गया कि अधिकांश सूचनादात्रियों को ग्रामीण महिलाओं के विकास हेतु सरकार द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं जैसे मनरेगा, वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा योजना, स्वास्थ्य आंगनवाडी, पोषाहार, महिला समृद्धि योजना की जानकारी है। अधिकांश सूचनादात्रियाँ आर्थिक कारणों से सरकारी योजनाओं से जुड़ी है। महिलाएँ वृद्धावस्था पेंशन, नरेगा, स्वच्छ शौचालय इंदिरा आवास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं से लाभान्वित भी हुई है। सूचनादात्रियों ने बताया कि उन्हें सरकारी विभागों द्वारा पूरी स्वीकृत राशि का भुगतान नहीं किया जाता है। सहायता हेतु बार-बार सरकारी विभागों के चक्कर काटने पड़ते हैं, कर्मचारियों का उनके प्रति असहयोगपूर्ण रवैया रहता है।

इस संबंध में शोधकर्ता का कहना है कि विकास योजनाओं का सही लाभ मिले, इसके लिए भ्रष्टाचार पर नियंत्रण एवं लाभ की राशि उनके बैंक खातों में जमा की जानी चाहिए। लोगो का सरकारी विभाग व अधिकारियों से सीधा संवाद हो व प्रचार-प्रसार द्वारा लोगो में जागरूकता पैदा की जाये। सूचनादात्रियों ने बताया कि उन्हें कार्य के बदले पूरा भुगतान न मिलना, ऋण पर ऊँची ब्याज

दर, सहायता में देरी, भ्रष्टाचार तथा उत्पादित माल के विपणन की पर्याप्त व्यवस्था का न होना योजनाओं के मार्ग की बाधा है। योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु अधिकारी एवं कर्मचारियों की सोच में बदलाव, भ्रष्टाचार पर नियन्त्रण, राजनेता एवं प्रभावशाली व्यक्तियों के हस्तक्षेप व दबाव को बन्द किया जावे, जनभागीदारी बढ़ाने के प्रयास, क्षेत्रीय गुटबाजी के कमी और साधन सुविधाएँ बढ़ाने पर जोर दिया जाना चाहिए। अतः कहा जा सकता है कि गुटबाजी, दखलअंदाजी और भ्रष्टाचार इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में सबसे बड़ी बाधा बने हुए है, जब तक इनको दूर करने के प्रयास नहीं किए जायेंगे तब तक जन-जन तक इनका लाभ नहीं पहुँच पाएगा।

सूचनादात्री महिलाओं के विकास हेतु सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों से सन्तुष्ट पाई गई। अधिकतर सूचनादात्रियों ने योजनाओं का निर्माण, प्रबन्धन एवं क्रियान्वयन के स्तर पर जनसहभागिता को महत्वपूर्ण माना है। सूचनादात्रियों ने बताया कि सरकारी योजनाओं से लाभान्वित होने के फलस्वरूप उन्हें आर्थिक सुरक्षा, आम विश्वास में वृद्धि, शिक्षा के अवसरों में वृद्धि, उन्नत जीवन स्तर, बेहतर स्वास्थ्य और उनकी सामाजिक स्थिति में बदलाव आया है। इस प्रकार सूचनादात्रियों के जीवन में सरकारी योजनाओं के फलस्वरूप किसी न किसी प्रकार का बदलाव अवश्य आया है। अतः यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण महिलाओं के विकास में सरकारी योजनाओं की महती भूमिका है।

संदर्भ ग्रंथ

1. शर्मा, बी.एम. , भारत में महिला सशक्तिकरण मूल प्रश्न, उदयपुर, 1999
2. मौर्य, शैलेन्द्र, राजस्थान में महिला विकास प्रारम्भ से आज तक, राजस्थान साहित्य संस्थान, जोधपुर, 2007
3. कपूर ए.के. और सिंह, धर्मवीर, रूरल डेवलपमेन्ट ऐंड एन.जी.ओ. रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली 2011
4. देवी, मंजू के., रूरल वूमेन: पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, अनमोल पब्लिकेशन, नई दिल्ली 1997
5. शर्मा, संगीता, महिला विकास एवं राजकीय योजनाएँ, रितु पब्लिकेशन, जयपुर, 2005
6. जैन, मंजू, कार्यशील महिलाएँ एवं सामाजिक परिवर्तन, प्रिन्टवेल, जयपुर, 1994
7. विद्या, के.सी., पालिटिकल एम्पावरमेन्ट ऑफ वूमेन एट द ग्रास रूट, कनिष्ठ पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 1997